

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

पुलिस बल के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण
पर निष्पादन लेखापरीक्षा

उत्तर प्रदेश शासन

प्रतिवेदन संख्या 03, वर्ष 2017

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	v
कार्यकारी सार	-	vii
अध्याय—1 प्रस्तावना		
प्रस्तावना	1.1	1
संगठनात्मक ढांचा	1.2	2
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.3	2
लेखापरीक्षा के मापदण्ड	1.4	3
सम्प्रेक्षा कार्यक्षेत्र एवं प्रणाली	1.5	3
अभिस्वीकृति	1.6	4
अध्याय—2 नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन		
प्रस्तावना	2.1	5
नियोजन	2.2	5
वित्तीय प्रबन्धन	2.3	6
राज्य बजट से आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	2.4	10
अध्याय—3 अस्त्र—शस्त्रों का आधुनिकीकरण		
प्रस्तावना	3.1	13
वित्तीय प्रावधान	3.2	13
शस्त्र नीति के संशोधन मे विलम्ब	3.3	15
हथियारों की उपलब्धता	3.4	15
अप्रचलित हथियारों से सुसज्जित	3.5	16
अप्रयुक्त पड़ी अमोघ रायफल	3.6	16
गोलाबारूद की कमी	3.7	17
केन्द्रीय भण्डार	3.8	17
अध्याय—4 संचार प्रणाली का आधुनिकीकरण		
प्रस्तावना	4.1	23
विभाग द्वारा उपयोग में लाये जाने वाली संचार प्रणालियाँ	4.2	23
संचार उपकरण की प्राप्ति	4.3	24
हैण्ड हेल्ड सेटों की कमी	4.4	26
आयु पूरी कर चुके संचार सेटों की सूची	4.5	26
स्पेक्ट्रम (तरंग)ग्रामार पर ₹ 57.66 करोड़ का परिहार्य व्यय	4.6	27
बिना अनुज्ञापत्र बेतार सेटों का उपयोग।	4.7	28
उपयोगी जीवन काल पूरा कर चुके उपकरणों की प्रतिस्थापना	4.8	29
पुलिस दूरसंचार संजाल (पोलनेट)	4.9	29

आधुनिक तकनीक अपनाने में विलम्ब	4.10	30
आधे से अधिक जिलों में जीपीएस प्रणाली का कार्य न करना	4.11	30
एक तिहाई से अधिक सीसीटीवी कैमरों का अक्रियाशील रहना	4.12	31
अक्रियाशील आधुनिक नियंत्रण कक्ष कानपुर	4.13	31
मानव शक्ति की कमी	4.14	32
नेटवर्क बुनियादी ढांचा एवं निष्पादन	4.15	33
मूल सेवाओं के लिये कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर का परिचालन एवं उपयोग	4.16	34

अध्याय—5 पुलिस मोबिलिटी में सुधार

प्रस्तावना	5.1	35
वाहनों की उपलब्धता	5.2	35
जनपदों में वाहनों की अतार्किक तैनाती	5.3	36
पुलिस स्टेशनों पर वाहनों की कम तैनाती	5.4	36
वाहनों का क्रय न करना तथा बजट का समर्पण	5.5	36
निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन के सापेक्ष वाहनों का अनियमित क्रय	5.6	37
निष्प्रयोज्य वाहनों के सापेक्ष वाहनों का क्रय न करना	5.7	37
विभाग द्वारा वाहनों की आयु पूरी होने के बाद उनका उपयोग किया जाना	5.8	38
वाहनों का विशिष्ट महानुभावों को उपलब्ध कराना एवं पीओएल पर व्यय किया जाना	5.9	38
मोटर वाहन कार्यशाला पर अलाभकारी व्यय	5.10	39

अध्याय—6 विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण

प्रस्तावना	6.1	41
नियोजन	6.2	41
उपकरणों की खरीद / प्राप्ति	6.3	43
उपकरणों का अभाव	6.4	44
तकनीकी मानवशक्ति की कमी	6.5	45
परीक्षण में विलम्ब के कारण विशाल मात्रा में नमूनों का लम्बित होना	6.6	45
जिला क्षेत्रीय इकाइयों में मानवशक्ति, प्रयोगशालाओं एवं किट्स की कमी के कारण साक्ष्यों का असंगत एकत्रीकरण	6.7	46
साइबर अपराध क्षेत्रीय प्रयोगशाला की पूर्णतः अवस्थापना न हो पाना	6.8	47
अनुसंधान सहायक इकाइयों को उपलब्ध न कराया जाना	6.9	48
अभिलेखों का रख—रखाव न किया जाना	6.10	48

अध्याय—7 प्रशिक्षण स्थापना का आधुनिकीकरण एवं संवर्धन

प्रस्तावना	7.1	49
उपकरणों की खरीद न किया जाना	7.2	49
प्रशिक्षण केन्द्रों की अपर्याप्त क्षमता	7.3	50
प्रशिक्षण अनुदेशकों की कमी	7.4	51
आन्तरिक प्रशिक्षण	7.5	52
वाह्य प्रशिक्षण	7.6	53
प्रशिक्षण संस्थानों में अत्यधिक बोझ	7.7	53
प्रशिक्षुओं के लिए अपर्याप्त आवासीय सुविधा	7.8	54

आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर (एफएएस)	7.9	55
साइबर अपराध प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित न किया जाना	7.10	56
अध्याय—8 विशेष पुलिस बल का आधुनिकीकरण		
आतंकवाद निरोधी दस्ता	8.1	57
प्रादेशिक सशस्त्र बल	8.2	62
स्पेशल टास्क फोर्स	8.3	64
अध्याय—9 यातायात पुलिस आधुनिकीकरण		
प्रस्तावना	9.1	67
वित्तीय स्रोत तथा उसका उपयोग	9.2	67
कार्यरत कार्मिक	9.3	69
यातायात पुलिस के लिए प्रशिक्षण	9.4	70
सड़क दुर्घटनाएँ	9.5	71
अध्याय 10 पुलिस आवास का निर्माण		
प्रस्तावना	10.1	73
कार्यों का निष्पादन	10.2	73
समय और लागत में वृद्धि	10.3	78
पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रावकलनों का परीक्षण	10.4	79
पुलिस थाना तथा पुलिस चौकियों के लिए प्रशासनिक भवन	10.5	81
बैरकों का निर्माण	10.6	82
आवासीय अवसंरचना	10.7	83
अध्याय 11 अपराध के मामले और पुलिस की तैनाती		
प्रस्तावना	11.1	87
साइबर अपराध	11.2	90
पुलिस बल में जनशक्ति प्रबन्धन	11.3	91
पुलिस विभाग में भर्तियाँ	11.4	92
परिशिष्टियाँ		
परिशिष्ट 1.1	उत्तर प्रदेश पुलिस का संगठनात्मक ढांचा	97
परिशिष्ट 2.1	वार्षिक योजना को प्रस्तुत करने की नियत एवं वास्तविक तिथि	98
परिशिष्ट 2.2	वित्तपोषण प्रक्रिया	99
परिशिष्ट 2.3	2011–16 की अवधि में अनुमोदित उपकरण जो क्य नहीं किये गये	100
परिशिष्ट 3.1	रिवाल्वर/पिस्टल/ग्लाक पिस्टल की आवश्यकता	105
परिशिष्ट 3.2	राईफल की श्रेणी में आवश्यकता	105
परिशिष्ट 3.3	जनपदों में प्रयुक्त हो रही अप्रचलित प्वाइंट 303 राईफल की स्थिति	106
परिशिष्ट 3.4	केन्द्रीय भण्डार सीतापुर में जनशक्ति की स्थिति	106
परिशिष्ट 4.1	2011–16 की अवधि में संचार विंग की लक्ष्य एवं प्राप्ति	107
परिशिष्ट 4.2	नमूना जांच जनपदों में सीसीटीवी कैमरे की स्थापना	109
परिशिष्ट 4.3	अवधि 01.01.2013 से 31.03.2016 में आईआईएफ-1 से 7 की सूचना की स्थिति	109

परिशिष्ट 5.1	जनपदों में वाहनों की आवश्यकता एवं उपलब्धता	110
परिशिष्ट 5.2	पीएसी में वाहनों की आवश्यकता एवं उपलब्धता	110
परिशिष्ट 5.3	वाहनों की अतार्किक तैनाती	111
परिशिष्ट 5.4	बीपीआरएण्डडी मानकों के सापेक्ष पुलिस स्टेशनों पर हल्के वाहनों की कमी	113
परिशिष्ट 5.5	वाहनों के लिये वर्ष 2011–16 की अवधि में बजट आवंटन, व्यय एवं समर्पण	113
परिशिष्ट 5.6	एमपीएफ योजना तथा राज्य बजट के अन्तर्गत वर्ष 2011–16 की अवधि में क्य किये गये वाहनों की संख्या	114
परिशिष्ट 5.7	पूँजीगत शीर्ष के अन्तर्गत वाहनों के प्रतिस्थापन पर किये गये व्यय का विवरण	115
परिशिष्ट 5.8	नमूना जांच जनपदों में मार्च 2016 को आयु पूर्ण कर चुके वाहन	115
परिशिष्ट 5.9	नमूना जांच जनपदों में वाहनों की मरम्मत एवं पीओएल पर व्यय	116
परिशिष्ट 6.1	क्रियाशील विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अनुभाग	117
परिशिष्ट 6.2	माह अप्रैल 2017 के अनुसार क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की प्रगति	117
परिशिष्ट 6.3	प्राप्त न किए गए उपकरणों की सूची	117
परिशिष्ट 6.4	निविदा प्रणाली में विलम्ब (दो वर्षों से) तथा पी एल ए में धन रखने के कारण स्थापित न किए गये मुख्य उपलकरण	118
परिशिष्ट 6.5	उत्तर प्रदेश के विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की स्थिति	118
परिशिष्ट 6.6	विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं, उत्तर प्रदेश, में लम्बित नमूनों की स्थिति	119
परिशिष्ट 6.7	विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा में साइबर अपराध क्षेत्रीय प्रयोगशाला के अक्रियाशील उपकरण	119
परिशिष्ट 7.1	नमूना जांच किये गये पांच प्रशिक्षण संस्थानों में शारीरिक व पैदल प्रशिक्षण के अनुदेशकों (पी०टी०आई०/आई०टी०आई०) के पदों में कमी	120
परिशिष्ट 7.2	वर्ष 2011–15 के दौरान नमूना जांच किये गये प्रशिक्षण संस्थानों में वर्षवार प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं का विवरण	120
परिशिष्ट 8.1	आतंकवाद रोधी दस्ता, कमान्डों प्रशिक्षण विद्यालय व विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (सी०आई०ए०टी०) हेतु आवश्यक जन शक्ति	121
परिशिष्ट 8.2	ए०टी०एस० में स्वीकृत संख्या के विरुद्ध उपलब्ध पद	123
परिशिष्ट 8.3	शस्त्र सामग्री की आवश्यकता	124
परिशिष्ट 8.4	पीएसी में स्वीकृत संख्या व भरे पद की स्थिति	125
परिशिष्ट 8.5	पी०ए०सी० बल में वाहनों की स्वीकृत संख्या व उपलब्धता	125
परिशिष्ट 8.6	पी०ए०सी० बल में अस्त्रों की कमी	126
परिशिष्ट 8.7	एस०टी०एफ० में जन शक्ति की स्थिति	126
परिशिष्ट 9.1	पर्सपेरिटिव प्लान के अनुरूप उपकरणों के क्य में कमी	127
परिशिष्ट 10.1	वर्ष 2015–16 के अन्त तक कुल स्वीकृत कार्यों, पूर्ण कार्यों और अपूर्ण कार्यों की संख्या का विवरण	129
परिशिष्ट 10.2	सक्षम प्राधिकारी द्वारा एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर दिनांक का विवरण	130
परिशिष्ट 10.3	लागत में वृद्धि के साथ पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या का विवरण	133
परिशिष्ट 10.4	अपूर्ण कार्यों पर लागत में वृद्धि की स्वीकृति का विवरण	133
परिशिष्ट 10.5	पुलिस थाना एवं पुलिस चौकियों के प्रशासनिक भवन की प्रगति दर्शाता विवरण	134
परिशिष्ट 10.6	बैरकों की प्रगति दर्शाता विवरण	134
परिशिष्ट 10.7	बैरकों एवं आवासों की आवश्यकता दर्शाता विवरण	135
परिशिष्ट 10.8	नमूना जांच में चयनित जनपदों में आवासों की उपलब्धता	136
परिशिष्ट 10.9	नमूना जांच में चयनित पुलिस थानों में आवासों की उपलब्धता	137